न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–26/2011 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. रामदयाल पुत्र स्व0 धित्तू जाति तेली,
2. दीनदयाल पुत्र स्व0 धित्तू जाति तेली,
3. मु0 धूपा पत्नी स्व0 धित्तू जाति तेली समस्त निवासीयान लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
4. ईश्वर पति स्व0 मु0 कोशल्या जाति तेली,
5. पवन पुत्र स्व0 मु0 कौशल्या जाति तेली,
6. संजय पुत्र स्व0 मु0 कौशल्या जाति तेली समस्त निवासीयान नूंह तहसील नूंह (हरियाणा)
7. श्रीमती विद्या पुत्री स्व0 मु0 कौशल्या पत्नी श्री फूलचन्द जाति तेली निवासी फिरोजपुर झिरका तहसील फिरोजपुर झिरका (हरियाणा)
8. श्रीमती आंनन्दी पुत्री स्व0 मु0 कौशल्या पत्नी श्री विजय जाति तेली निवासी फरीदाबाद (हरियाणा)
9. श्रीमती अनिता पुत्री स्व0 मु0 कौशल्या पत्नी श्रीराम जाति तेली निवासी धण्टाघर के पास टोंक ।
10. मु0 फूलवती पुत्री स्व0 धित्तू पत्नी श्री औमप्रकाश जाति तेली निवासी पुन्हाना तहसील फिरोजपुर झिरका (हरियाणा).
11. मु0 विद्या पुत्री स्व0 धित्तू पत्नी श्री इन्द्रजीत जाति तेली निवासी फिरोजपुर झिरका (हरियाणा)

..... असल प्रतिवादीगण/ अपीलांट

बनाम

1. पूरण पुत्र रामचन्द्र जाति तेली निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... वादी0/असल रेस्पोडेन्ट

2. लल्लू पुत्र रामचन्द जाति तेली निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
3. रामस्वरूप पुत्र रामचन्द्र जाति तेली निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।
4. संतोष पुत्र स्व0 मंगतू जाति तेली निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।
5. कैलाश पुत्र स्व0 मंगतू जाति तेली निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।
6. भगवानदास पुत्र स्व0 मंगतू जाति तेली निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।
7. मु0 प्रेम पुत्री मंगतू पत्नी सुमन मैन बाजार तेली मोहल्ला सीकरी, तहसील नगर जिला भरतपुर ।
8. मु0 सितारा पुत्री मंगतू जाति तेली निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

9. मु0 सरोज पुत्री मंगतू पति राजेश उर्फ राजू जाति तेली निवासी तेली मौहल्ला महुवा जिला दौसा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... तर0 रेस्पो0/असल प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1. श्री भरत जैन अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक असंल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–20.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 28.2.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी ख0 नं0 445 रकबा 17 बिस्वा, 362 रकबा 18 बिस्वा, 447 रकबा 12 बिस्वा, 452 रकबा 8 बिस्वा, 453 रकबा 10 बिस्वा, 454 रकबा 8 बिस्वा जिनके हाल ख0 नं0 460 रकबा 1.05 बीधा, 481 रकबा 18 बिस्वा, 470 रकबा 12 बिस्वा, 472 रकबा 9 बिस्वा, 473 रकबा 1 बीधा वाके ग्राम लक्ष्मणगढ है । वादी व प्रतिवादी सं0 1 ल0 4 सगे भाई हैं तथा पिता रामचन्द की संतान हैं । वादी ने अपने वादपत्र में रामचन्द का सजरा बनाते हुए मृतक रामचन्द के पांच वारिसान थे जिनके वादी स्वयं तथा प्रतिवादी एक से चार हैं तथा विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की आराजी थी जिसमें पांचों भाईयों का 1/5–1/5 हिस्सा है तथा इसी अनुसार शामलात में काश्त करते आ रहे हैं । विवादित आराजी पांचों भाईयों को हमारे खास चाचाओं बुद्धा एवं कन्हैया पिता मुरली तेली लक्ष्मणगढ़ से बंटवारे में मिली है । वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ल. 4 के पिता रामचन्द व बुद्धा और कन्हैया सगे भाई एवं एक पिता मुरली की संतान हैं । वादी व प्रतिवादीगण एवं हमारे चाचा मृतक बुद्धा और कन्हैया की काश्त की जमीन लक्ष्मणगढ़ में और भी थी और सभी शामिल में काश्त करते थे । बंटवारे में विवादित आराजी हम पांच भाईयों को मिली थी तथा प्रतिवादी धित्तू ने बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों से मिलकर मौका व कानून के खिलाफ 1/5 हिस्से की बजाय तमाम आराजी पर अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करा ली जबकि विवादित आराजी प्रतिवादी नं0 1 की तन्हा खातेदारी काश्तकारी की आराजी नहीं है और प्रतिवादी नं0 1 का मात्र 1/5 हिस्सा है । गलत इन्द्राज की जानकारी होते ही वादी ने प्रतिवादीगण से इन्द्राज दुरूस्ती कराने बाबत निवेदन किया लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया । अतः वादी को विवादित आराजी के 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए वादी का वाद दि0 28.2.2011 को आंशिक स्वीकार कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 28.2.2011 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट का पिता वक्त लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियिम 1959 के लागू होने से पहले से ही विवादित आराजीयात पर काबिज था जिस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के समय धित्तू ने विवादित आराजीयात हाल ख0 नं0 460, 461, 470, 472, 473 जिनके साबिक ख0 नं0 445, 362, 447, 452, 453 एवं 454 पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार हो गये जिस कारण ही सैटलमेन्ट विभाग ने सम्पूर्ण आराजीयात अपीलांट के पिता धित्तू की खातेदारी में दर्ज की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजीयात को पक्षकारान की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी मानने में गलती की है जैसा कि जमाबन्दी सम्वत् 2015 प्रदर्श–3 तहत न्यायालय की पत्रावली से साबित है । तहत न्यायालय ने विवादित आराजीयात के कब्जे बाबत श्री अजय कुमार जैन एडवोकेट को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जिसने भी अपनी मौका रिपोर्ट में विवादित आराजीयात पर एक्सक्लूजिवली अपीलांट का ही कब्जा माना है एवं साबिक रेकार्ड से भी बदस्तूर अपीलांट का ही कब्जा साबित होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस तथ्य को नहीं समझा कि यदि विवादित आराजी पर पूरण का कोई अधिकार होता तो उस स्थिति में उसके अन्य भाई लल्लू, रामस्वरूप एवं मगंतू का भी अधिकार एवं कब्जा होता लेकिन स्वयं लल्लू ने विवादित आराज़ीयात के संबंध में बउनवान लल्लू बनाम धित्तू वगैरा राजस्व वाद सं0 1/367 रजू दि0 4.6.83 न्यायालय सहायक कलक्टर लक्ष्मणगढ़ में इस्तकरारहक व हुक्मईम्तनाई दवामी का पेश किया जिसमें स्वयं लल्लू ने राजीनामा व इकरारनामा प्रस्तुत कर अपीलांट के पिता धित्तू का कब्जा माना व सम्पूर्ण आराजीयात का खातेदार भी धित्तू को ही माना व अपना दावा खारिज करवा लिया । उक्त दावें में रामस्वरूप एवं मंगतू ने भी अपने–अपने हलफनामें प्रस्तुत कर विवादित आराजी का तन्हा खातेदार काश्तकार व कब्जा अपीलांट के पिता धित्तू का ही माना है । अधीनस्थ न्यायालय में दावा विचाराधीन रहते हुए दि0 4.12.2010 को असल प्रतिवादी सं0 1/4 मु0 कौशल्या की मृत्यु हो गई थी जिस मृतक कौशल्या के वारिसान अपीलांट सं0 4 ल0 9 है फिर भी वादी/असल रेस्पो0 ने उक्त असल प्रतिवादी सं0 1/4 मु0 कौशल्या के उक्त वारिसान अपीलांट सं0 4 ल0 9 को उक्त मृतक कौशल्या की जगह कायम मुकाम करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया । इस प्रकार मृतक के विरूद्ध भी निर्णय एवं डिक्री पारित करने से उक्त निर्णय एवं डिक्री प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीली न्यायालय के निर्णय दि0 31.10.2006 में दिये गये निर्देशों की भी पालना नहीं की तथा इस विवाद पर भी कोई निर्णय नहीं दिया कि विवादित आराजी विश्वेदारी की थी या नहीं । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 1993 पेज 277, आर.आर.डी. 1992 पेज 634 पेश की ।

विद्धान अभिभाषक असल रेस्पो0 ने अपने बहस जवाब में कथन किया कि विवादित आराजी वादी और प्रतिवादी की सम्मिलित खातेदारी की आराजी हैं जिसमें पांचों भाईयों का 1/5–1/5 हिस्सा है तथा इसी हिस्से अनुसार पांचों भाई विवादित आराजी में काश्त करते थे । अपीलांट के पिता स्व0 धित्तू हम सभी पांचों भाईयों में सबसे बड़े थे । परिवार एक साथ था । परिवार का मुखिया होने के कारण यदि बकाश्त उनके रेकार्ड में दर्ज की जाती है तो कानूनी प्रावधानों के अनसुार भी परिवार के सभी सदस्यों की काश्त मानी जाती है । साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2011 व 2015 के अनुसार रामचन्दर, बुद्धा और कन्हैया तीनों भाईयों की सम्मिलित खातेदारी की आराजी थी जिसमें रामचन्दर का 1/3 हिस्सा था तथा 2/3 हिस्से में बुद्धा और कन्हैया रेकार्ड में दर्ज़ थे । अतः कुल विवादित आराजी में जो की रामचन्दर के हिस्से की आराजी हम सभी पांचों भाईयों का 1/5–1/5 हिस्सा दर हिस्सा 1/3 अर्थात 1/15–1/15 हिस्सा निहित था । अभिभाषक रेस्पो0 ने आगे बताया कि बन्दोबस्त विभाग ने सम्वत् 2020 से 2028 में रामचन्दर के 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण आराजी धित्तू के नाम से कानून के खिलाफ दर्ज कर दी । बहस जवाब में आगे कहा कि बन्दोबस्त विभाग को पूर्व के इन्द्राजात को बदलने का कोई अधिकार नहीं है । बिना सक्षम आदेश व बिना किसी रजिस्टर्ड बयनामा व बिना किसी अन्य कानूनी दस्तावेजों को बन्दोबस्त विभाग खातेदारी के इन्द्राजों को बदल नहीं सकते हैं । अतः अपीलांट के पिता के नाम से दर्ज इन्द्राजों को समाप्त कर वादी/रेस्पो0 व अन्य को विवादित आराजी में 1/15–1/15 भाग का खातेदार काश्तकार तहत न्यायालय द्धारा सही घोषित किया गया है ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने अपीलांट की इस बहस का जवाब देते हुए कि वाद वादी नोन ज्वाईण्डर के आधार पर काबिल खारिजी के है, के संबंध में बताया कि बुद्धा और कन्हैया के हिस्से की आराजी से वादी/रेस्पो0 कोई घोषणा नहीं करवाना चाहते हैं । जो आराजी रामचन्दर के हिस्से की थी उसी हिस्से पर घोषणा चाही गयी थी । इसलिए बुद्धा, कन्हैया के वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक नहीं है । मृतक कौशल्या के विरूद्ध पारित डिक्री के संबंध में जवाब में बताया कि कौशल्या के वारिसान ऑलरेडी रेकार्ड में दर्ज हैं तथा उनके मृतक होने से घोषणा के वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । संयुक्त कब्जे काश्त के संबंध में कानूनी बिन्दुओं का हवाला देते हुए बताया कि परिवार के प्रकरण में एक व्यक्ति का कब्जा सभी की काश्त मानी जाती है । मौका कमिश्नर रिपोर्ट के संबंध में जवाब दिया कि संयुक्त कब्जा काश्त के संबंध में यदि मुखिया की काश्त रेकार्ड में दर्ज है और मुखिया द्धारा काश्त की जाती है तो पूरे परिवार की काश्त मानी जाती है । जहां तक विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में अपीलीय न्यायालय द्धारा जो आदेश दिये गये थे कि जो विवादित आराजी बिश्वेदारी की आराजी है या नहीं, इस संबंध में जवाब देते हुए कहा कि अपीलांट/प्रतिवादी ने ऐसा कोई रेकार्ड पेश नहीं किया जिसके आधार पर यह माना जायें कि जमीदारी, बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के आधार पर धित्तू को किसी प्रकार की खातेदारी प्राप्त हुई हो । सम्वत् 2011 और 2015 की जमाबन्दी के अनुसार विवादित आराजी पर रामचन्दर, बुद्धा और कन्हैया हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड थे । इसलिए तहत न्यायालय के द्धारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है तथा अपीलांट की अपील काबिल खारिजी के है ।

हमने इस संबंध में तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश वाद के तथ्यों, तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि0 26.03.2003 व 28.02.2011 तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने से संबंधित आदेश दि0 31.10.2006 का अवलोकन किया । तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 28.02.2011 का गहनता से अवलोकन किया, उभयपक्षों के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया और कानूनी बिन्दुओं का ससम्मान अवलोकन किया । वादी/रेस्पो0 के द्वारा तहत न्यायालय में जो वाद पेश किया गया है उसका मुख्य आधार यह लिया गया है कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी जो कि पांच भाई है तथा पिता रामचन्दर की संतानें हैं । उनके हिस्से की आराजी में बकाश्त बराबर की खतोदारी चाही है तथा बन्दोबस्त विभाग ने रामचन्दर के हिस्से की सम्पूर्ण आराजी जो धित्तू के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की है उसे कलमजन कराकर बहिस्सा बराबर की खातेदारी चाही है । साथ ही यह भी इस्तदुआ की है कि बन्दोबस्त विभाग को इन्द्राज बदलने की कार्यवाही जो दौराने सैटलमेन्ट सम्वत् 2020 से 2028 में की गई है, वह कानून सम्मत नहीं है तथा इस प्रकार के इन्द्राजों को बदलने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का है । इस संबंध में हमने तहत न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया । तहत न्यायालय के द्वारा साबिक रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2011 व 2015 के आधार पर तथा बन्दोबस्त के मिलान क्षेत्रफल और बन्दोबस्त की जमाबन्दी सम्वत् 2028 व हाल जमाबन्दी के आधार पर रेकार्ड का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है । निर्णय के अनुसार विवादित आराजी सम्वत् 2011 और 2015 की जमाबन्दी के अनुसार तथा बन्दोबस्त से पूर्व रामचन्दर के हिस्से में 1/3 तथा बुद्धा व कन्हैया के हिस्से में 2/3 दर्ज रेकार्ड है । इससे स्पष्ट है कि यह आराजी रामचन्दर की खातेदारी की आराजी है जो पक्षकारान की पैत्रिक सम्पति है । कानूनन बन्दोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राजों को बदलने का कोई अधिकार नहीं है । इसलिए तहत न्यायालय के द्वारा बन्दोबस्त द्वारा बदले गये गलत इन्द्राजों को दुरूस्त करने संबंधी जो आदेश पारित किये गये हैं, वह कानूनी एवं विधिसम्मत है । रामचन्दर की विवादित आराजी में पक्षकारान पांच भाईयों का बहिस्सा बराबर अधिकार निहित है । यदि विवादित आराजी में पांच भाईयों में से मुख्या के रूप में रेकार्ड में धित्तू की बकाश्त दर्ज होती है तो उसके आधार पर धित्तू को सम्पूर्ण आराजी के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अपीलांट अभिभाषक के बिन्दुओं कि दावा मृतक कौशल्या के विरूद्ध डिक्री किया गया है, स्वीकार नहीं है तथा इस आधार पर निर्णय को नल एण्ड वोईड नहीं माना जा सकता क्योंकि मृतक कौशल्या के वारिसान रेस्पो0 पूर्व से ही पक्षकार मुकदमा है । नोन ज्वाईण्डर ऑफ पार्टीज के संबंध में रेस्पो0 अभिभाषक के तर्क कानूनी है । विवादित आराजी के संबंध में अपीलांट ने ऐसा कोई रेकार्ड और साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह माना जाये कि यह आराजी जमीदारी बिश्वेदारी की होने पर तथा धित्तू का एक्सक्लूजीव कब्जा काश्त हो । सम्वत् 2011 और 2015 की जमाबन्दी में रामचन्दर विवादित आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है और अपीलांट की अपील काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.2011 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/7/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर